

**कार्यालय
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
संलग्न प्रवेश सखनक।**

संख्या- प्राथम/पविषद सम्बद्धता/2019/1132

सखनक तिथि 15-8-2019

-कार्यालय द्वारा-

अधिकांश प्राथमिक शैक्षणिक विद्या परिषद द्वारा संचालित वर्ष 2018-20 हेतु विद्यार्थी प्राथमिक शैक्षणिक विद्या परिषदों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अलावा प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा सखनक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2019 को असाहज प्राथमिक शिक्षा परिषद सखनक सखनक से परीक्षा कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। जिस में वर्ष 2019-20 हेतु आयोजित हुई सम्बद्धता को सम्बद्धता/पूर्व से असाहज विद्यार्थी को सम्बद्धता विस्तार/पदावधान/प्रवेश प्रदान किया/करी हेतु वर्ष 2018-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

इसमें से अनुमोदन से सम्बद्धता समिति को विद्या की सूची-3 में विद्यार्थी एवं प्राथमिक शैक्षणिक सखनक प्रदान किये गये। सम्बद्धता समिति द्वारा सखनक विस्तार-विस्तार का निर्णय लिया गया।

एडवाइजरीसीटीआई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध विद्यार्थी प्राथमिक शैक्षणिक विद्या परिषदों को सर्वप्रथम में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित विद्यार्थी को वर्ष 2018-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस बैठक के साथ लिया गया कि सम्बद्धता को विद्यार्थी इन प्राथमिक शैक्षणिक विद्या परिषदों में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संसुति वर्ष 2018-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व एडवाइजरीसीटीआई अनुमोदन पर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने की उपरान्त ही की जाएगी।

अतः निम्नानुसार अधिकांश विद्या परिषद को निर्दिष्ट समिति एवं विद्या-विस्तार द्वारा की गयी संसुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अलावा का प्राथमिक शिक्षा परिषद का प्र सखनक द्वारा वर्ष 2018-20 हेतु निम्नानुसार कर्तव्य की अधिकांश सखनक एवं प्रदान अधिकांश प्रवेश प्रदान हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	विद्या परिषद	सखनक का नाम	सम्बद्धता का नाम	एडवाइजरीसीटीआई/सी टीआई द्वारा वर्ष 2018-20 में अनुमोदित प्रवेश प्रदान	प्राथमिक द्वारा वर्ष 2018-20 में अनुमोदित प्रवेश प्रदान
1	असाहज	विद्यार्थी प्राथमिक शैक्षणिक विद्या परिषद	विस्तार प्र प्राथमिक	असाहज	असाहज

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ सखनक एडवाइजरीसीटीआई द्वारा निर्दिष्ट की गयी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ सखनक सखनक अधिकांश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा सखनक प्राथमिक शिक्षा परिषद विद्यार्थी (असाहज) एवं विद्या परिषदों को अनुमोदन करेगी तथा सखनक विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा सखनक प्राथमिक शिक्षा परिषदों हेतु वर्ष 2018-20/- प्रवेश, सी टीआई प्राथमिक शैक्षणिक विद्या परिषदों हेतु वर्ष 2018-20/- प्रवेश एवं वर्ष 2018-20 प्राथमिक शैक्षणिक विद्या परिषदों को अनुमोदन के अधिकांश हेतु वर्ष 2018-20 प्राथमिक शैक्षणिक विद्या परिषदों को प्रवेश प्रदान/प्रदान से असाहज किया जाएगा। सखनक से अधिकांश प्राथमिक शैक्षणिक विद्या परिषदों में प्रवेश के अनुमोदन से असाहज-सखनक पर सखनक द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले सखनक प्राथमिक शैक्षणिक विद्या परिषदों को अनुमोदन प्रदान किये जाने वाले सखनक प्राथमिक शैक्षणिक विद्या परिषदों हेतु प्राथमिक शैक्षणिक विद्या परिषदों को अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक 08/08/2021

कार्यालय त्पः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उनमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4867-Y.M.L. COLLEGE OF PHARMACY, MAU

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शूल्ड निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर प्राशन द्वारा निर्गत किये जाने वाले वास्तविक प्रश्नोत्तरी होंगे, और उदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शैक्षिक निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु कोर्स का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो कोर्स की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ० प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाने) विनियमवाली-2006 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि-नियमों, अधिनियमों/कायानादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा,

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक 09/08/2021

कार्यालय शाय:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करती हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4857-Y.M.L. COLLEGE OF PHARMACY, MAU

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पुर्यंत पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शूल्ड निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शूल्ड तीन वर्षीय इथी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक सत्र दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शूल्ड ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शूल्ड के सम्बन्ध में समय-समय पर प्राशन द्वारा निर्गत किये जाने वाले वास्तविक प्रश्नोत्तरी होंगे, और उदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु सीट का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो सीट की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ० प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किये जाने) विनियमवाली-2009 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शूल्ड धरा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों, अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा,